अंक 3 अक्टूबर 2018

1945 से राष्ट्र सेवा में समर्पित

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

विषय सूची

- कैबिनेट निर्णय
- बांध सुरक्षा निरीक्षण
- जल क्षेत्र समाचार
- बैठकें/दौरे
- एनएबीएल मान्यता
- कार्यशालाएं/आयोजन
- कर्नाटक बाढ़
- देश में बाढ़ की स्थिति
- जलाशय भंडारण निगरानी
- ग्लेशियल झील व जल निकायों की निगरानी
- परियोजना की निगरानी
- पुरस्कार/अभिमूल्यन (प्रशंसा)
- प्रशासनिक समाचार
- इतिहास के पन्नों से

संदेश

एस मसूद हुसैन
अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग

सितम्बर, *2018* माह के दौरान प्रधानमंत्री महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजनाओं *(*डीआरआईपी*)* के लिए *3466* करोड़ रुपए संशोधित लागत अनुमानों को स्वीकृत कर लिया गया. यह परियोजना विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित की जा रही है जिसमे *198* बांधों की सुरक्षा व परिचालन के साथ—साथ संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण सहित प्रणाली के व्यापक प्रबंधन दृष्टिकोण में सुधार किया जा रहा है . केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई की संस्थापना केन्द्रीय जल आयोग में की गई है.

इसके अतिरिक्त, कैबिनेट द्वारा राजस्थान फीडर नहर और सरहिन्द फीडर नहरों की री-लाइनिंग के लिए पाँच वर्षों *(2018-19* से *2022-23)* के लिए क्रमश: *620.42* करोड़ रुपए और *205.758* करोड़ रूपए की केन्द्रीय सहायता दिए जाने को भी मंजूर किया गया. यह दोनों परियोजनाएं पश्चिमी पंजाब के मुक्तसर, फरीदकोट और फिरोजपुर जिलों में स्थित *84800* हैक्टेयर भूमि में जल भराव की समस्याओं को सुलझाएगी और साथ ही साथ पानी के बहाव व उपलब्धता को बढ़ाएगी. राजस्थान फीडर नहर की री-लाइनिंग से *98,739* हैक्टेयर भूभाग और सरहिन्द फीडर नहर की री-लाइनिंग से *69,086* हैक्टेयर भूभाग के किसानों को सिंचाई में स्थिरीकरण और सुधार के लाभ प्राप्त होंगे.

पंजाब तथा जम्मू व कश्मीर की सरकारें शाहपुरकान्डी परियोजना, जो कि एक राष्ट्रीय परियोजना है, को पुनः आरंभ करने के लिए तैयार हो गयी हैं.

सिक्किम सरकार द्वारा *18* सितम्बर, *2018* को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया गया. इस अवसर पर सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री श्री पवन कुमार चामलिंग द्वारा साउथ लोनाक लेक के ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड *(GLOF)* और आपदा प्रबंधन से सबंधित अन्य गतिविधियों में सहयोग करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग का अभिनंदन किया गया.

माह के दौरान केन्द्रीय जल आयोग के सभी कार्यालयों द्वारा ''हिन्दी पखवाड़ा'' आयोजन और ''स्वच्छता ही सेवा'' अभियान में उत्साह से भाग लिया गया.

केरल में बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अंशदान हेतु केन्द्रीय जल आयोग के कार्मिकों से अपील की गयी थी. जिसके अंतर्गत 26.55 लाख रुपए की राशि एकत्रित हुई. मैं सभी कार्मिकों को इस नेक कार्य के लिए धन्यवाद देता हूँ.

सिंचाई विकास के क्षेत्र में भारत अग्रणी रहा है और **68.4 मिलियन हेक्टेयर** (वर्ष 2014-15) सिंचित भूभाग के साथ विश्व मे प्रथम स्थान पर है जबकि इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरीगेशन एंड ड्रेनेज (आईसीआईडी) की रिपोर्ट के अनुसार चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं. स्वतंत्रता से लेकर अब तक भारत ने सिचांई विकास के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की (पूर्व में रुड़की विश्वविद्यालय) द्वारा जल संसाधनों से सबंधित कई नियमों और सिद्धांतों जैसे 'डारसीज लॉ' और 'लेसीज सिद्धांत' आदि का सत्यापन और विकास किया गया जिनका जल संसाधन विकास परियोजनाओं में व्यापक प्रयोग होता है.

श्री नितिन गडकरी, माननीय मंत्री जी 12 सितम्बर 2018 को रेनुकाजी बांध परियोजना से संबन्धित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए. इस परियोजना के जल विद्युत लागत के व्यय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने वहन करना स्वीकार कर लिया है.

साउथ लोनाक लेक में ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड के आपदा प्रबंधन में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दिए सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पवन कुमार चामलिंग, प्रशंसा पत्र प्रदान करते हुए.

जल क्षेत्र में कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय

बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी)

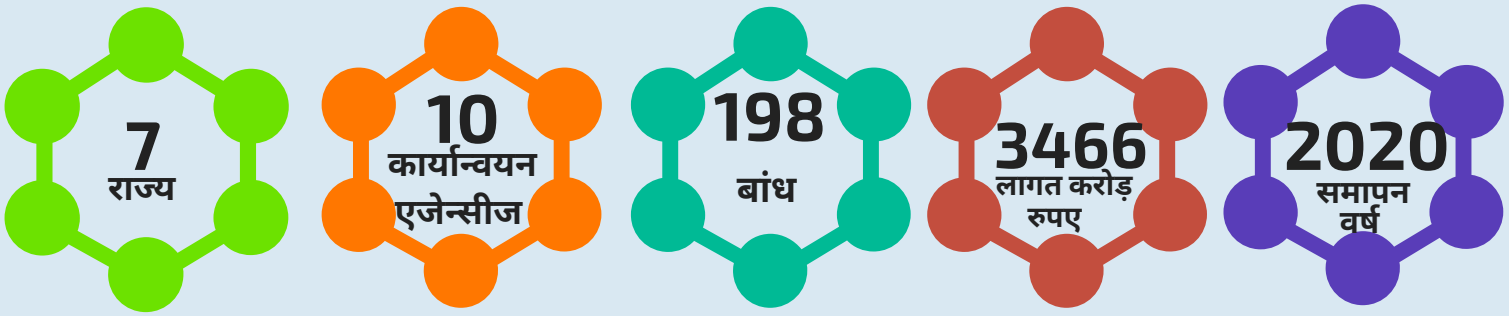

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रधानमंत्री महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न एक बैठक में बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजनाओं (डीआरआईपी) के लिए 3466 करोड़ रुपए संशोधित लागत को स्वीकृत कर दिया है. यह योजना विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से 198 बांधों की सुरक्षा और परिचालन क्षमता को बढ़ाएगी और प्रणालीबद्ध तरीके से बांध प्रबंधन के लिए एक व्यापक संस्थागत दृष्टिकोण को भी सुदृढ़ करेगी.

कुल 3466 करोड़ रुपए की लागत में से 2628 करोड़ रुपए विश्व बैंक के द्वारा, 747 करोड़ रुपए डीआरआईपी राज्यों/कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा और शेष 91 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे. कैबिनेट समिति ने कार्यान्वयन के कार्यकाल को 01 जुलाई 2018 से 30 जून 2020 तक बढ़ा भी दिया है.

मूलतः डीआरआईपी की कुल लागत 2100 करोड़ रुपए थी और यह छः साल की परियोजना थी जो कि 18 अप्रैल 2012 को शुरू की गई थी और इसका समापन 30 जून 2018 को निर्धारित था.

डीआरआईपी के मुख्य रूप निम्नलिखित घटक हैं:

1) घटक 1 - बांधों का पुनर्वास और उपयुक्त संरचनाएं

2) घटक 2 - संस्थागत मजबूती

3) घटक 3 - परियोजना प्रबंधन

यह योजना वर्तमान में सात राज्यों — केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड और उत्तराखंड में स्थित 198 बांध परियोजनाओं के व्यापक पुनर्वास पर कार्य करेगी.

कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)	बाँधों की संख्या	कुल परियोजना संशोधित लागत (करोड़ रुपये)
केजआ		270
मध्य प्रदेश जसंवि	25	169
ओडिशा जसंवि	26	751
तमिलनाडु जसंवि	69	543
टीएतनजीईडीसीओ	20	260
केरल जसंवि	16	360
केराबिबो	12	154
कर्नाटक जसंवि	22	581
उजविनिल	5	235
दाघानि	3	143
योग	198	3466

वर्तमान में डीआरआईपी परियोजना सिर्फ 5 प्रतिशत बड़े बांधों के रखरखाव व पुनर्वास का कार्य कर रही है. इस परियोजना के चरण—2 के अंतर्गत अन्य बांधों की सुरक्षा पर विचार किया जाएगा और बड़े पैमाने पर वित्तीय परिव्यय के माध्यम से अन्य बांधों और राज्यों को भी शामिल किया जाएगा.

परियोजनाओं का विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (ERM)

केंद्रीय कैबिनेट ने राजस्थान फीडर और सरहिन्द फीडर नहरों के री-लाइनिंग के कार्यों के लिए कमशः 620.42 करोड़ रुपए और 205.758 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है. 2018-19 से 2022-23 अवधि के दौरान होने वाले इस कार्य में सरहिन्द फीडर नहर में 119700 आरडी से 447927 आरडी तक और राजस्थान फीडर नहर में 179000 आरडी से 496000 आरडी तक री-लाइनिंग का कार्य किया जाएगा. वर्ष 2016 में इन परियोजनाओं के मूल्यांकन के दौरान अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग और वर्ष 2017 में श्री ए बी पान्ड्या, पूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग ने इन स्थानों का दौरा किया था. उन्होने इनमें सुधारात्मक कार्यों के किए जाने की अनुशंसा की थी. इन दोनों परियोजनाओं के पूर्ण होने से दक्षिणी पश्चिमी पंजाब के मुक्तसर, फरीदकोट और फिरोजपुर जिलों में 84,800 हैक्टेयर भूमि की जल भराव की समस्याएं सुलझेंगी और पानी की उपलब्धता में बढ़ोत्तरी होगी.

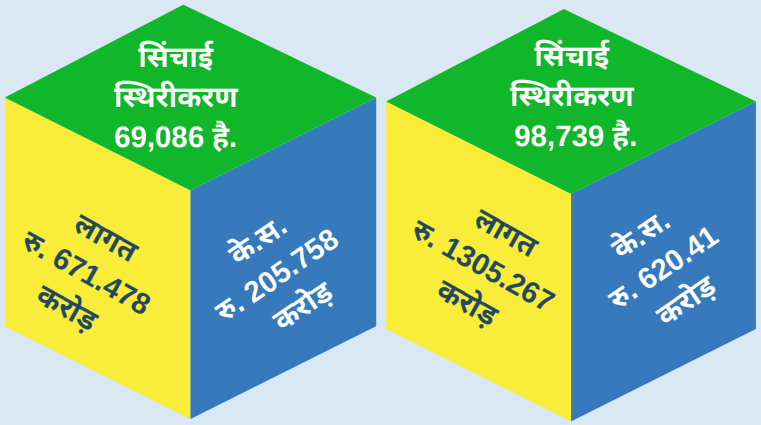

डीआरआईपी के अंतर्गत बांध सुरक्षा जाँच

केन्द्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू), केन्द्रीय जल आयोग की एक टीम तथा केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) के अधिकारियों ने 27 सितम्बर 2018 को केरल स्थित पोरीन्गलकुथु बांध पर चल रहे बांध पुनर्वास संबंधी कार्यों की जांच की और साथ ही अगस्त 2018 में आयी अभूतपूर्व बाढ़ के प्रभावों का जायजा लिया. पोरीन्गलकुथु बांध चलाकुडी नदी पर बना हुआ है. यह 36.90 मीटर ऊँचा और 365.76 मीटर लम्बा चिनाई ग्रॅविटी बांध है जो 1957 में बना था. इसके स्पिलवे और स्ल्यूस ओपनिंग्स 2265 क्यूमेक की डिजाइन बाढ़ को एफआरएल पर प्रवाहित करने में सक्षम हैं. 2018 में केरल में आई बाढ़ से जलग्रहण क्षेत्र से आए 3000 क्यूमेक के जल के बहाव ने इसे आच्छादित कर दिया था. यह बहाव इतना तेज और चरम था कि पानी का स्तर बांध से दो से लेकर ढाई मीटर तक ऊपर चला गया और यह स्थिति 24 से 26 घंटे तक बनी रही. ऊपर के चित्रों में बांध के बायीं ओर की ट्रेनिंग दीवार और ऊपर के क्षतिग्रस्त हिस्से आदि को देखा जा सकता है.

विश्व बैंक की टीम द्वारा 19 से 22 सितम्बर 2018 के दौरान सीपीएमयू की टीम के साथ ओडिशा स्थित हीराकुन्ड बांध का दौरा किया गया. इन टीमों के साथ जीएसआई और जल संसाधन विभाग, ओडिशा सरकार के अधिकारीगण भी थे. डीआरआईपी के अंतर्गत हीराकुन्ड बांध के लिए एक अतिरिक्त स्पिलवे का निर्माण किया जाना है और पुनर्वास कार्यों के साथ साथ इसे जल विज्ञानीय सुरक्षा प्रदान करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य होगा. टीम ने बांध की जाँच और इस अतिरिक्त हीराकुन्ड स्पिलवे से संबंधित निर्माण गतिविधियां की तैयारी की समीक्षा की.

जल क्षेत्र समाचार

एडीबी के साथ ऋण अनुबंध

भारत सरकार द्वारा एक अत्यधिक कुशल और जलवायु प्रतिरोधी सिंचाई नेटवर्क तैयार करने व पानी के उपयोग में सुधार करने के उद्देश्य से एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ 375 मिलियन डॉलर के एक ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गये हैं. इससे मध्य प्रदेश के 400 से ज्यादा गाँवों के लगभग 8 लाख लोग लाभान्वित होंगे.

राष्ट्रीय जल पुरस्कार

भारत में जल प्रबंधन की महत्ता को देखते हुए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार योजना बनाई है ताकि पूरे देश में हितधारकों की जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बने और उसके कुशल और सुचारू प्रयोग किए जाने की प्रेरणा मिल सके. इस योजना के अंतर्गत 13 वर्गों जैसे सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ नगर निगम, सर्वश्रेष्ठ जल अनुसंधान/नया तरीका/नयी तकनीक, सर्वश्रेष्ठ शिक्षाप्रद/सामुहिक जन जागरूकता प्रयास, सर्वश्रेष्ठ टीवी प्रसार, सर्वश्रेष्ठ समाचार पत्र, कैम्पस में जल का सफलतम उपयोग करने वाला सर्वश्रेष्ठ संस्थान, सर्वश्रेष्ठ आवास कल्याण समिति, सर्वश्रेष्ठ धार्मिक/मनोरंजन व पर्यटन संस्था और औद्योगिक जल का संरक्षण करने वाला सर्वश्रेष्ठ उद्योग. हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित की गईं हैं जिसकी अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2018 है. पुरस्कारों से सबंधित अन्य जानकारी व आवेदन पत्र हेतु आवेदनकर्ता वेबसाइट http://mowr.gov.in/national-water-awards-2018 देख सकते हैं.

बैठकें/दौरे

सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के सम्मुख दिनांक 05.09.2018 को ऑनलाइन परियोजना मूल्यांकन व्यवस्था (ई-पी ए एम एस) का प्रस्तुतीकरण. एन आई सी के सहयोग से केन्द्रीय जल आयोग द्वारा कार्यक्षम, प्रयोक्ता अनुकूल एवं सिंचाई, बहुउद्देश्यीय और बाढ़ परियोजनाओं के समयबद्ध मूल्यांकन के लिए इस व्यवस्था का विकास किया जा रहा है.

श्री यू.पी. सिंह, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत चल रहीं-एआईबीपी/एसएमआई/आरआरआर और एफएमपी योजनाओं की प्रगति के विषय पर 29.09.2018 को सम्पन्न बैठक की अध्यक्षता करते हुए. उनके द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित केन्द्रीय जल आयोग के भोमरागुरी, जीडीएसक्यू प्रेक्षण स्थल का भी दौरा किया गया.

सदस्य (नदी प्रबंध), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों और राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना (एनएचपी) के परामर्शकों के बीच शीघ्र बाढ़ चेतावनी व्यवस्था और गंगा बेसिन में बाढ़ पूर्वानुमानों संबंधी विषय पर निर्धारित शर्तो को अंतिम रूप दिए जाने के लिए 10 सितम्बर 2018 सम्पन्न बैठक

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, कर्नाटक सरकार और अन्य अधिकारियों के बीच बेंगलुरू में दिनांक 01 सितम्बर 2018 को सम्पन्न बैठक.

अध्यक्ष, सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान) और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, केन्द्रीय जल आयोग, द्वारा 06-07 सितम्बर 2018 के दौरान भूटान स्थित पुनातसांगचू जल विद्युत परियोजना का दौरा किया गया.

श्री वाई के शर्मा, सदस्य (नदी प्रबंध) केन्द्रीय जल आयोग, ने 28 सितम्बर 2018 को भोमरागुरी जीडीएसक्यू स्थल का दौरा किया और एडीसीपी द्वारा किए जाने वाले जल प्रवाह की जाँच की.

भारत—बंगलादेश संयुक्त समिति की 70वीं बैठक 10 सितम्बर 2018 को ढाका में सम्पन्न हुई. इसमें 1996 में जल को साझा करने हेतु बनी गंगा जल संधि के अनुपालन में 2018 की वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया.

श्री यू.पी. सिंह, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने 08 सितम्बर 2018 को राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्ल्यूए) पुणे का दौरा किया. उन्होने राजअ (एनडब्ल्यूए) की गतिविधियों का जायजा लिया और केन्द्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा (सीडब्ल्यूईएस) में नए नियुक्त अधिकारियों से बातचीत की.

परतापी-नर्मदा और दमनगंगा -पिंजल लिंक परियोजना सबंधी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआई ए) अध्ययन की प्रगति एवं समीक्षा हेतु गांधीनगर में दिनांक 19 सितम्बर 2018 को आयोजित 11वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य अभियंता (पर्यावरण प्रबंधन संगठन), केन्द्रीय जल आयोग.

एनएबीएल द्वारा केन्द्रीय जल आयोग की बेंगलूरू स्थित जल गुणवता प्रयोगशाला को आईएसओ/आईईसी 17025:2005 में निहित मापदण्डों के अनुसार मान्यता दी गयी है. केन्द्रीय जल आयोग की नई दिल्ली, हैदराबाद, वाराणसी और कोयम्बटूर के बाद यह पाँचवीं प्रयोगशाला है जिसे यह मान्यता मिली है.

कार्यशालाएं/आयोजन

श्री एस मसूद हुसैन, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा , केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला (सीडब्ल्यूपीआरएस) पुणे में कोस्टल हार्बर एवं ओशन इंजीनियरिंग (आईएनसीएचओई) के छठवें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 26.09.2018 को किया गया.

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग बेंगलुरू में दिनांक 01.09.2018 को आयोजित इंडियन एग्रीबिजनेस एक्सीलेंस एवार्ड समारोह में जल संसाधनों के संरक्षण पर मान्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए.

अपर गंगा बेसिन संगठन (यूजीबीओ) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा ''रामगंगा व गोमती नदियों का स्वास्थ्य, मुद्दे एवं आगे के रास्ते '' विषय पर कार्यशाला का आयोजन दिनांक 28.09.2018 को किया गया जिसमें कई संगठनों और हितधारकों द्वारा भाग लिया गया .

कर्नाटक में बाढ़ का जायजा लेने के लिए अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम का दौरा

गृह मंत्रालय से प्राप्त आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय जल आयोग के श्री जितेन्द्र पंवार, अधीक्षण अभियंता (एचओ एवं केन्द्रीय सर्कल), प्रबोधन (दक्षिण) संगठन , केन्द्रीय जल आयोग, बेंगलूरू को कर्नाटक के कोडागू और अन्य सात जिलों में आई बाढ़ के नुकसान का जायजा लेने हेतु बनी केन्द्रीय टीम के एक सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया. इस टीम ने 12 सितम्बर से 14 सितम्बर 2018 के दौरान इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. श्री जितेन्द्र पंवार द्वारा कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी की अध्यक्षता में 14 सितम्बर 2018 को आयोजित विवरण सत्र (डीब्रीफिंग) सभा में भी भाग लिया.

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा केरल के बाढ़ के मद्देनजर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अंशदान हेतु अपील

प्रिय साथियो,

जैसे कि आप सभी को विदित है कि केरल राज्य में आई अभूतपूर्व बाढ़ ने न सिर्फ जान माल का नुकसान किया है बल्कि कई लोगों को बेघर भी कर दिया है.

इसके अलावा, बाढ़ ने सड़कों, रिहायशी भवनों, कार्यालयों, अस्पतालों, स्कूलों, दुकानों आदि जैसी आधारभूत सरंचनाओं को व्यापक नुकसान पहुँचाया है.

हालांकि, भारत सकार, केरल सरकार, अन्य राज्य सरकारें, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन और व्यक्ति विशेष द्वारा बाढ़ पीड़ितों को अपनी अपनी तरफ से सुव्यवस्थित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं फिर भी यह हमारा सामाजिक दायित्व और जिम्मेदारी बनती है कि एकजुट होकर इन बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में रह रहे अपने ही जैसे भाइयों और बहनों की मदद करें ताकि वे भी जल्द ही सामान्य जीवन निर्वाह कर सकें.

इसलिए मैं केन्द्रीय जल आयोग में कार्यरत अपने सभी साथियों से अपील करता हूँ कि वे स्वेच्छा से कम से कम अपना एक दिन का वेतन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान कर केरल राज्य को प्राकृतिक आपदा से हुए इस नुकसान से उबरने में सहयोगी बने.

(एस. मसूद हुसैन)
अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग

(अब तक इस राहत कोष के ज आ के कार्मिकों द्वारा 26.55 लाख रूपए जमा किए जा चुके हैं)

सितम्बर 2018 में बाढ़ की स्थिति

केरल बाढ़

केन्द्रीय जल आयोग व केन्द्रीय जल विज्ञानीय परियोजना (एनएचपी) की टीमों ने सितम्बर 2018 माह में केरल का दौरा किया और सचिव (डबल्यूआर) केरल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में केरल में बाढ़ के पूर्वानुमान का पता लगाने की व्यवहारिकता पर विचार विमर्श किया.

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अगस्त 2018 माह में केरल में आई बाढ़ पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है जिसे वेबसाइट http://cwc.gov.in/main/downloads/keralaFloodReport/Rev-1.pdf पर देखा जा सकता है.

जलाशय भंडारण की निगरानी

केन्द्रीय जल आयोग साप्ताहिक आधार पर देश के 91 जलाशयों की सक्रिय भंडारण स्थितियों की निगरानी कर रहा है और इस संबंध में प्रत्येक गुरूवार को बुलेटिन जारी करता है. इन 91 जलाशयों की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता 161.993 घन किमी है जो कि देश भर में बनाई गई कुल अनुमानित सक्रिय भंडारण क्षमता 257.812 घन किमी का 63 प्रतिशत है.

27 सितम्बर 2018 को जारी बुलेटिन के अनुसार इन जलाशयों की भंडारण क्षमता 122.514 घन किमी है जो कि इन जलाशयों के कुल भंडारण क्षमता का 76 प्रतिशत है. यह क्षमता पिछले वर्ष इसी अवधि की सक्रिय भंडारण क्षमता का 117 प्रतिशत व पिछले 10 वर्षों के औसत भंडारण का 105 प्रतिशत है.

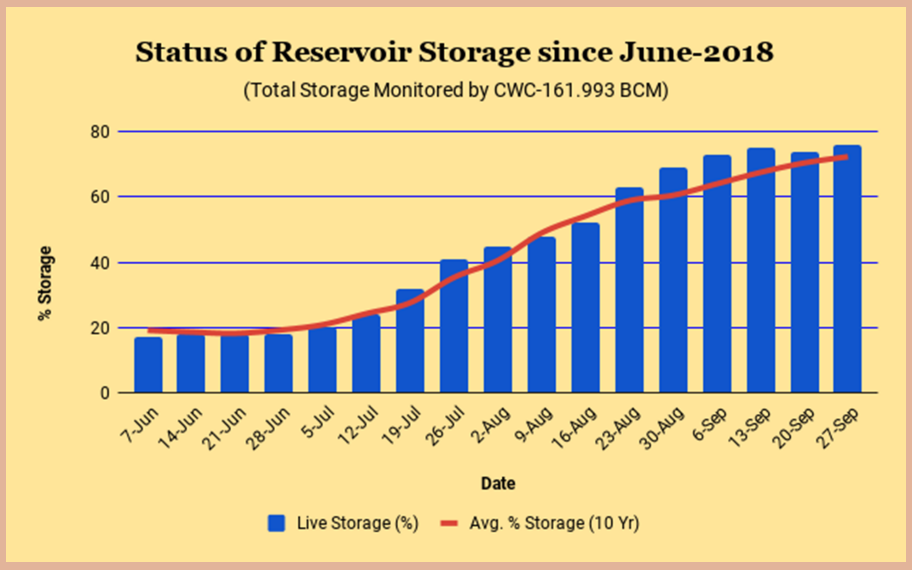

ग्लेशियल झील व जल निकायों की निगरानी

केन्द्रीय जल आयोग उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग कर हर वर्ष जून से अक्तूबर माह के दौरान हिमालय क्षेत्र में 50 हैक्टेयर से बड़ी ग्लेशियल झीलों और जल निकायों के आकार की निगरानी करता है. वर्ष 2009 में इन ग्लेशियल झीलों और जल निकायों को डिजिटाइज किया गया था. तबसे उन आंकड़ो को आधार मानकर इनके आकार का विश्लेषण किया जाता है. इन प्रबोधित ग्लेशियल झीलों और जल निकायों की संख्या बादल रहित डाटा पर निर्भर करती है . इस बदलाव के आंकड़ो को सामने सारिणी में दर्शाया गया है. इस संबंध में अगस्त 2018 माह की विस्तृत रिपोर्ट, जो कि इस कार्य की पद्धति और निष्कर्ष को दर्शाती है, को वेबसाइट http://cwc.gov.in./main/ downloads/CWC lakes monitor report August 2018.pdf पर देखा जा सकता है.

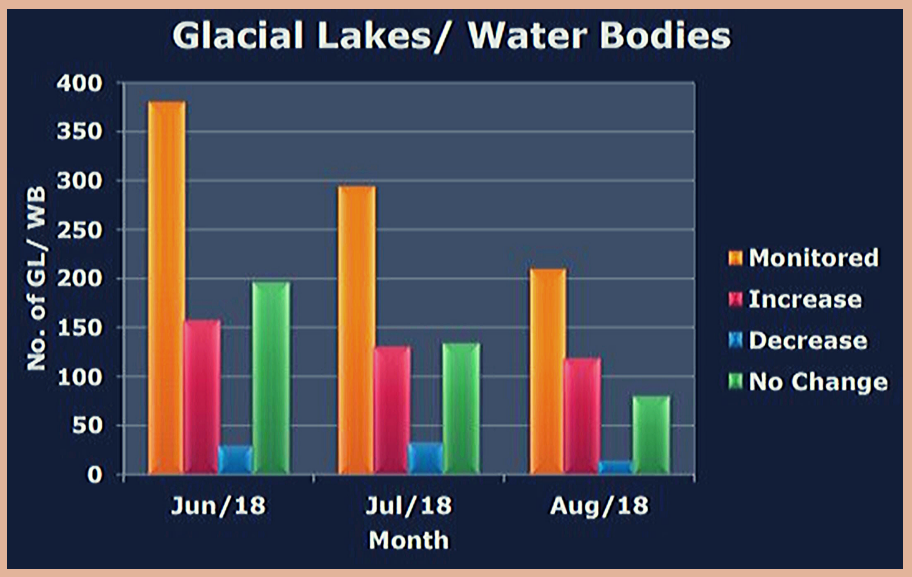

परियोजना की निगरानी

केन्द्रीय जल आयोग अपने मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता से केन्द्र द्वारा वित्तपोषित जल संसाधन परियोजनाओं की निगरानी करता है. इससे इन परियोजनाओं के निष्पादन में आने वाली बाधाओं की पहचान होती है, निधि का उचित प्रयोग होना सुनिश्चित होता है तथा भविष्य में परियोजनाओं के लिए और वांछित फंड का अनुमान लग जाता है. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान अब तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित की जाने वाली परियोजनाओं के कुल 40 निगरानी दौरे किए जा चुके हैं. इसके अलावा, केन्द्रीय जल आयोग मुख्यालय की अनुशंसा से केंद्रान्श के 1027.78 करोड़ रुपए जारी करने हेतु प्रस्ताव को मंत्रालय भेज दिया गया है.

वर्ष के दौरान महाराष्ट्र की वांग परियोजना और खडकपूर्णा परियोजना के संशोधित लागत अनुमानों के लिए फास्ट ट्रैक प्रोफॉर्मा क्लीयरेन्स (एफटीपीसी) मिल चुकी है.

कारबी एंगलौंग ऑटोनोमस काउन्सिल, असम के 60 और 64 क्लसटर्स की एसएमआई योजना का दिनांक 12.09.2018 को निगरानी दौरा

परियोजना	कुल लागत (करोड़ रुपये)	एआईबीपी घटक (करोड़ रुपये)
वांग	209.79	111.92
खड़कपूर्णा	1374.60	1052.01

पुरस्कार/अभिमूल्यन (प्रशंसा)

01 अक्तूबर 2017 से 15 सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान जापान में आयोजित ''फ्लड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन'' प्रशिक्षण कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी होने के कारण श्री वसन्तकुमार वेंकटेसन, उप निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग ''सोनटोको पुरस्कार'' प्राप्त करते हुए.

दिनांक 28.09.18 को शोलापुर में आयोजित शाइनिंग महाराष्ट्र में जागरूकता के लिए केजआ को सर्वश्रेष्ठ स्टाल पुरस्कार मिला.

प्रशासनिक समाचार

- सितम्बर 2018 के दौरान केन्द्रीय जल आयोग के सभी कार्यालयों ने ''हिन्दी पखवाड़ा'' और ''स्वच्छता ही सेवा'' अभियानों में सक्रियता से भाग लिया.
- राज्य सरकारों से अच्छा समन्वय बनाए रखने के उद्देश्य से केन्द्रीय जल आयोग के कई कार्यालयों को स्थानांतरित किया जाना मंजूर किया गया है.
- केन्द्रीय जल आयोग की केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग सेवा समूह 'क' के तीन उच्च प्रशासनिक ग्रेड अधिकारियों को मंत्रालय के विविध संगठनों में तैनात किया गया है.

कार्यालय स्थानांतरण

कार्यालय	कहाँ से	कहाँ
मुख्य अभियंता (टीबीओ)	सिलीगुड़ी	कोलकाता
निदेशक (प्रबोधन)	कोयम्बटूर	चेन्नई
मुख्यालय का एक निदेशालय	नई दिल्ली	हैदराबाद

उच्च प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों की तैनाती

श्री ए.एस.पी. सिन्हा
अध्यक्ष, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड

श्री आर.के. जैन
अध्यक्ष, गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड

श्री एस.के. हलदर
सदस्य, (जल आयोजन एवं परियोजना स्कंध), केन्द्रीय जल आयोग

इतिहास के पन्नों से

इंजीनियर दिवस

राष्ट्र अग्रणी इंजीनियर एवं प्रशासक डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया (1861-1962) के जन्म दिवस **15 सितंबर** को को ''इंजीनियर दिवस'' के रूप में मनाता है. उन्होने एक सिविल इंजीनियर के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत 1884 में बॉम्बे प्रसीडेन्सी से की थी. परंतु उन्होने अपना इंजीनियरिंग कौशल 1893 से 1895 के दौरान सिंध प्रान्त (तब बॉम्बे प्रसीडेन्सी का भाग) के सुकुर में दिखाया जिसने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई. उन्होने सिंधु नदी की तलहटी पर एक कुआँ खोदकर और उसके नीचे एक सुरंग बनाकर नदी के कीचड़ भरे और गंदले जल को फिल्टर करने का एक सरल तरीका तैयार किया और शहर के पंपिंग स्टेशन तक पहुँचाकर जलापुर्ति की. उनकी इंजीनियरिंग उपलब्धियों में मैसूर का कृष्णा राजा सागर बांध, हैदराबाद में 1908 की भयानक मूसी बाढ़ के उपरांत बांध सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण, ओडिशा में बाढ़ नियंत्रण के लिए हीराकुंड बांध की अवधारणा, स्वचलित द्वार का अविष्कार व पेटेंट और ऐसे ही कई अन्य उदाहरण मुख्य हैं. एक पारंगत सिविल इंजीनियर होने के साथ साथ वे मैसूर के दीवान भी रहे. उन्होने विभिन्न क्षेत्रों में कई संस्थाओं जैसे मैसूर विश्वविद्यालय, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, हिन्दुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और अन्य कई उद्योगों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. देश और समाज के लिए उनके इन विशिष्ट योगदानों के लिए भारत सरकार द्वारा 1955 में उन्हें '**भारत रत्न**' से सम्मानित किया गया.

प्रकाशक:
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग
द्वितीय तल (दक्षिण), सेवा भवन
रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
दूरभाष : 011 2958 3270/71
ई मेल : media-cwc@gov.in

केन्द्रीय जल आयोग
जल संसाधन , नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

cwc.gov.in
CWCOfficial.GoI
CWCOfficial_GoI
CWCOfficial.GoI